[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष क र एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 32/2018-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2018

23 चैत्र, 1940 (शक)

का. आ...........(अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	684
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	696
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	690
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	699
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	702
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	701
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	824
8	7404 00 22	पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड)	3776
9	1207 91 00	पोस्त बीज	2485

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)

1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 और 358 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	432 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 और 359 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	537 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	3946”

[फा. सं. 467/01/2018-सीमा शुल्क–V]

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 26/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे का.आ. 1402 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।